



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2015/श्रावण 2, 1937

No.465]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2015/SHRAVANA 2, 1937

गृह मंत्रालय

(केन्द्र-राज्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 578(अ).—कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 07 जनवरी, 2014 को भारत गणराज्य सरकार तथा कुवैत देश की सरकार के बीच किए गए करार का अनुसमर्थन करने के बाद, एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध 3 अप्रैल, 2015 से कुवैत देश के लिए लागू होंगे तथा उक्त देश और भारत के बीच कैदियों के अंतरण के लिए भारत गणराज्य सरकार तथा कुवैत देश के बीच की गई करार के पूर्ण पाठ को निम्नवत अधिसूचित करती है अर्थात् :-

दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत देश की सरकार के बीच करार

भारत-गणराज्य की सरकार तथा कुवैत देश की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद "संविदाकार देश" कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से; और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, दण्डित अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दण्डित किए गए संविदाकार देशों के किसी नागरिकों/राष्ट्रिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सज़ा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजन के लिए:

(क) "निर्णय" से तात्पर्य न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;

- (ख) “प्रशासक देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसको दण्डित व्यक्ति सज़ा अथवा शेष सजा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “अंतरणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता है या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।
- (घ) “दण्ड” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा अपने दण्डिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित समयावधि के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने या आजीवन कारावास का कोई दण्ड या उपाय है;
- (ङ) “दण्डित व्यक्ति” से तात्पर्य किसी दण्डिक न्यायालय, जिसमें संविदाकार देशों में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी शामिल हैं, द्वारा पारित किसी निर्णय के तहत कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है।

अनुच्छेद 2 **सामान्य सिद्धांत**

1. इस क्रार के प्रावधानों के अनुसार किसी एक संविदाकार देश के भू-भाग में दण्डित किसी व्यक्ति को उसे दी गई सज़ा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है। इस संबंध में, दण्डित व्यक्ति इस क्रार के अंतर्गत अंतरणकर्ता देश अथवा प्रशासक देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
2. अंतरण का अनुरोध किसी दण्डित व्यक्ति, जो प्रशासक देश का नागरिक/राष्ट्रिक है अथवा उसके स्थान पर कार्य करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित तरीके से आवेदन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।
3. इस क्रार के उपबंधों के अध्यक्षीन, अंतरण के लिए अनुरोध अंतरणकर्ता देश अथवा प्रशासक देश द्वारा भी इस शर्त के अध्यक्षीन किया जा सकता है कि अंतरण का अनुरोध करने से पूर्व दण्डित व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई हो।

अनुच्छेद 3 **केन्द्रीय प्राधिकारी**

1. संविदाकार देशों की ओर से इस क्रार के कार्यान्वयन के प्रभारी प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:
 - भारत गणराज्य के लिए : गृह मंत्रालय
 - कुवैत देश के लिए : अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग, न्याय मंत्रालय
2. यदि कोई संविदाकार देश अपना सक्षम प्राधिकारी बदलता है, तो वह दूसरे देश को राजनयिक चैनलों के माध्यम से उक्त परिवर्तन के बारे में अधिसूचित करेगा।

अनुच्छेद 4 **अंतरण की शर्तें**

1. इस क्रार के अंतर्गत किसी दण्डित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जा सकता है :
 - (क) वह व्यक्ति प्रशासक देश का राष्ट्रिक हो;
 - (ख) दण्डित व्यक्ति को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया हो;
 - (ग) निर्णय अंतिम और निष्पादन-योग्य हो;
 - (घ) अंतरणकर्ता देश में दण्डित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दण्डिक कार्यवाही लम्बित नहीं हो जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित है;
 - (ङ) दण्डित व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत किसी अपराध के लिए दण्डित न किया गया हो;
 - (च) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय, दण्डित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली सज़ा की अवधि कम से कम छः माह बची हो अथवा वह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो;
 - (छ) व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए दण्ड दिया गया था, वे प्रशासक देश में अपराध के रूप में दण्डनीय हैं, अथवा यदि उसके अपने भू-भाग में किए जाते तो दण्डिक अपराध होते;
 - (ज) प्रशासक देश में दण्डित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य अनिवार्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;

(झ) अंतरण के संबंध में दण्डित व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो अथवा, दण्डित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर किसी संविदाकार देश द्वारा जरूरी समझे जाने पर, संविदाकार देश के कानून के अनुसार उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और

(ञ) अंतरणकर्ता और प्रशासक देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

2. आपवादिक मामलों में, यदि दण्डित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दण्ड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और प्रशासक देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 5

सूचना भेजने का दायित्व

1. यदि दण्डित व्यक्ति ने अंतरणकर्ता देश को इस क्रार के तहत अंतरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो, अंतरणकर्ता देश प्रशासक देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज़ भेजेगा बशर्ते कि प्रशासक या अंतरणकर्ता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं है :

(क) दण्डित व्यक्ति का नाम एवं राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान और प्रशासक देश में उसका पता, यदि कोई हो, यथा संभव उसके पासपोर्ट या अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रति और अंगुलिछाप;

(ख) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दण्ड आधारित था;

(ग) दण्ड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;

(घ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दण्डित व्यक्ति के खिलाफ दण्ड पारित किया गया है;

(ङ) दण्डित व्यक्ति की कोई चिकित्सीय, सामाजिक अथवा उसके पूर्ववृत्त एवं चरित्र के बारे में अन्य कोई रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान अथवा उसकी परिरुद्धता की प्रकृति के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो;

(च) सभी मामलों में यथा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी जिसे प्रशासक देश विनिर्दिष्ट करे कि यह संबंधित मामले में अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दण्डित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;

(छ) अंतरित किए जाने वाले दण्डित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति का अनुरोध; और

(ज) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दण्ड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य कारक संबंधी सूचना को शामिल करते हुए एक विवरण, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दण्ड पहले पूरा हो चुका है।

(झ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण से सहमत होने के संबंध में अंतरणकर्ता देश का विवरण।

2. इस क्रार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्रशासक देश, अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना एवं दस्तावेज़ भेजेगा जब तब कि प्रशासक या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय न कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है :

(क) एक विवरण अथवा दस्तावेज, जो यह दर्शाता हो कि दण्डित व्यक्ति प्रशासक देश का एक नागरिक/राष्ट्रिक है;

(ख) प्रशासक देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें ऐसे कृत्य अथवा चूकें शामिल हैं, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में इस प्रकार से दण्ड पारित किया गया है, मानो वे प्रशासक देश के कानून के अंतर्गत अपराध हों अथवा यदि ऐसे कृत्य अथवा चूकें इसके भू-भाग में घटित हुई होती, तो वह अपराध होती।

(ग) दण्डित व्यक्ति के अंतरण पर इस क्रार के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण, यदि लागू हो, के सहित उसके अंतरण के बाद प्रशासक देश में दण्ड की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;

(घ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्रशासक देश की इच्छा और दण्डित व्यक्ति की सज़ा के बाकी बचे हिस्से को लागू करने हेतु एक वचनबद्धता; तथा

(ङ) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

अनुच्छेद 6**अनुरोध एवं जवाब**

1. अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो, में प्रस्तुत किया जाएगा और राजनयिक माध्यम के द्वारा अनुरोधकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से प्रशासक देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा। जवाब उन्हीं माध्यमों से सूचित किए जाएंगे।
2. प्रशासक देश शीघ्रतापूर्वक अंतरणकर्ता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।

अनुच्छेद 7**सहमति और इसका सत्यापन**

1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1(i) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। इस प्रकार की सहमति देने की प्रक्रिया को अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा।
2. अंतरणकर्ता देश, प्रशासक देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निर्धारित गई शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 8**प्रशासक देश के लिए अंतरण का प्रभाव**

1. प्रशासक देश के सक्षम प्राधिकारी, इस करार के अनुच्छेद 9 में निर्धारित शर्तों के अधीन किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी उसके राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपेक्षित होगा, के माध्यम से दण्ड के प्रवर्तन को जारी रखेंगे।
2. इस करार के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के अधीन, दण्ड का प्रवर्तन प्रशासक देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

अनुच्छेद 9**सज़ा का सतत् प्रवर्तन**

1. प्रशासक देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा-निर्धारित सज़ा की कानूनी प्रकृति एवं अवधि द्वारा आवद्ध होगा।
2. तथापि, यदि दण्ड की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही प्रशासक देश के कानून से असंगत हों, तो वह देश अंतरणकर्ता देश की पूर्व सहमति से न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा, दण्ड को अपने स्वयं के कानून द्वारा उसी प्रकार के अपराध के लिए निर्धारित दण्ड के अनुरूप बना सकेगा। जहां तक इसकी प्रकृति एवं अवधि का प्रश्न है, अनुरूप दण्ड यथासंभव, अंतरणकर्ता देश के निर्णय द्वारा दिए गए दण्ड के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा अंतरणकर्ता देश में दिए गए दण्ड में वृद्धि नहीं करेगा।

अनुच्छेद 10**अंतरणकर्ता देश के लिए सज़ा के समापन का प्रभाव**

जब प्रशासक देश इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दण्ड पूरा हो गया है, तो ऐसी अधिसूचना अंतरणकर्ता देश में उस दण्ड को पूरा करने के संबंध में प्रभावी मानी जाएगी।

अनुच्छेद 11**निर्णय की समीक्षा और माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण**

1. केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की समीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।
2. कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दण्ड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।

अनुच्छेद 12**दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति**

1. अंतरणकर्ता देश अपने भू-भाग में लिए गए किसी भी ऐसे निर्णय के बारे में शीघ्रतापूर्वक प्रशासक देश को अधिसूचित करेगा जिसके तहत दण्ड अथवा उसके भाग के प्रवर्तन को समाप्त किया गया हो।

2. जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे निर्णय अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दण्ड का प्रवर्तन समाप्त हो गया हो, तो प्रशासक देश दण्ड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

अनुच्छेद 13

दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना

1. प्रशासक देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा :

(क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा

(ख) यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दण्डित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासक देश दण्डित व्यक्ति की गिरफ्तारी का हर-संभव प्रयास करेगा ताकि वह स्वयं को मिले दण्ड का शेष भाग पूरा कर सके और यह कि कैदी के भाग निकलने के बारे में प्रशासक देश के संगत कानून के अन्तर्गत अपराध के लिए कैदी पर अभियोग चलाया जा सके।

2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो, तो प्रशासक देश दण्ड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 14

पारगमन

1. यदि कोई भी संविदाकार देश दण्डित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है, तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दण्डित व्यक्तियों के अपने भू-भाग से पारगमन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा सिवाय इसके कि वह पारगमन की अनुमति प्रदान करने से मना कर सकता है

(क) यदि दण्डित व्यक्ति उसका नागरिक/राष्ट्रिक हो।

(ख) यदि अनुरोध, संविदाकार देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था या कोई अन्य अनिवार्य हित का अतिक्रमण करता हो।

2. इस प्रकार के अंतरण का आशय रखने वाला संविदाकार देश ऐसे पारगमन के बारे में अन्य संविदाकार देश को अग्रिम सूचना देगा।

अनुच्छेद 15

लागत

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में हुए किसी भी व्यय को प्रशासक देश द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, प्रशासक देश, अंतरण में होने वाले सम्पूर्ण अथवा आंशिक व्यय की मांग अथवा वसूली दण्डित व्यक्ति अथवा किसी अन्य स्रोत से कर सकता है।

अनुच्छेद 16

भाषा

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा उनके साथ उनका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा।

अनुच्छेद 17

लागू होने का दायरा

यह करार, इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

अनुच्छेद 18

विवादों का निपटारा

(1) केन्द्रीय प्राधिकारी इस करार की व्याख्या, लागू होने अथवा इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को निपटाने के लिए परस्पर रूप से प्रयास करेंगे।

(2) यदि केन्द्रीय प्राधिकारी परस्पर रूप से विवाद का निपटान करने में असमर्थ रहते हैं, तो इसे राजनयिक माध्यमों से निपटाया जाएगा।

अनुच्छेद 19
दण्डित व्यक्तियों को सौंपा जाना

अंतरणकर्ता देश द्वारा प्रशासक देश को दण्डित व्यक्ति, अंतरणकर्ता देश और प्रशासक देश के बीच सहमत हुए स्थान पर सौंप जाएगा। प्रशासक देश, अंतरणकर्ता देश से कैदी को ले जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा अंतरणकर्ता देश के भू-भाग के बाहर दण्डित व्यक्ति की हिरासत के लिए भी वही उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 20
संशोधन

संविदाकार देशों द्वारा सहमत इस करार में कोई संशोधन अथवा आशोधन स्वयं करार की तरह ही लागू होंगे।

अनुच्छेद 21
अंतिम प्रावधान

1. यह करार, दोनों संविदाकार देशों में प्रवृत्त संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसमर्थन के अध्येधीन होगा। यह अंतिम अधिसूचना, जिसके द्वारा कोई भी संविदाकार देश अन्य संविदाकार देश को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में यह सूचित करेगा कि करार को लागू करने के लिए सभी आवश्यक विधिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, की तारीख से तीस (30) दिन पश्चात् प्रभावी होगा।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार प्रवृत्त होने के पश्चात् यह करार तब तक वैध रहेगा जब तक कि कोई भी संविदाकार देश अन्य संविदाकार देश को इसे समाप्त करने के अपने आशय के बारे में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में सूचना न दे दे। इस प्रकार का परिसमापन नोटिस की तारीख से छः (6) माह बाद से प्रभावी होगा।

3. किसी भी परिसमापन के बावजूद, यह करार उन दण्डित व्यक्तियों के दण्डों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत दण्डित किया गया हो।

इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते, इसे नई दिल्ली में 8 नवम्बर, 2013 को हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में, प्रत्येक की दो दो मूल प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में अंतर होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

कुवैत राष्ट्र की
सरकार की ओर से

ह०/-

(सुशील कुमार शिन्दे)
गृह मंत्री

ह०/-

(सबा खालिद अल-हमद अल-सबा)
उप प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री

[फा. सं. वी-17011/3/2006-पी.आर.]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2015

G.S.R. 578(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government having ratified the Agreement entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Kuwait on the 7th January, 2014, hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the State of Kuwait with effect from the 3rd April, 2015, and notifies the full text of the Agreement entered into between the Government of the Republic of India and the State of Kuwait for the transfer of prisoners between that country and India as follows, namely :-

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE
GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT ON TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

The Government of the Republic of India and the Government of the State of Kuwait hereinafter referred to as the "Contracting States",

Desiring to facilitate the social rehabilitation of the sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving citizens/ nationals of the Contracting States, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences in their own society;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

- (a) "judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) "Administering State" means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof;
- (c) "Transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.
- (d) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (e) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgment passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;

ARTICLE 2

GENERAL PRINCIPLES

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the Transferring State or the Administering State his willingness to be transferred under this Agreement.
2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national/ citizen of the Administering State or by any other person who is entitled to act on his behalf by making an application in the manner prescribed.
3. Subject to the provisions of this Agreement, a request for transfer may also be made by the Sentencing State or the Administering State subject to the condition that the consent of the sentenced person has been obtained before a request for transfer is made.

ARTICLE 3

CENTRAL AUTHORITIES

1. Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:
 - For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.
 - For the State of Kuwait: International Relations Department, Ministry of Justice.
2. In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other State of the same through diplomatic channels.

ARTICLE 4**CONDITIONS FOR TRANSFER**

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
 - (a) the person is a national of the Administering State;
 - (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
 - (c) the judgment is final and executable;
 - (d) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the Transferring State in which his presence is required;
 - (e) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
 - (f) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment.
 - (g) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the Transferring State are those which are punishable as a crime in the Administering State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
 - (h) transfer of custody of the sentenced person to the Administering State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other essential interest of the Transferring State;
 - (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition, either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
 - (j) the Transferring and Administering States agree to the transfer.
2. In exceptional cases, the Transferring and Administering States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

ARTICLE 5**OBLIGATION TO FURNISH INFORMATION**

1. If the sentenced person has expressed an interest to the Transferring State in being transferred under this Agreement, the Transferring State shall send the following information and documents to the Administering State unless either the Administering or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:-
 - (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person and his address, if any, in the Administering State along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and fingerprints of the sentenced person, as possible;
 - (b) a statement of the facts upon which the sentence was based;
 - (c) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
 - (d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
 - (e) a medical, social or any other report regarding the antecedents and character of the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
 - (f) any other information which the Administering State may specify as required, to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
 - (g) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Transferring State; and

- (h) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.
- (i) a statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the sentenced person.

2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the Administering State shall send the following information and documents to the Transferring State unless either the receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a citizen/ national of the Administering State;
- (b) a copy of the relevant law of the Administering State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring State constitutes a criminal offence according to the law of the Administering State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Administering State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
- (d) the willingness of the Administering State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) any other information or document which the Transferring State may consider necessary.

ARTICLE 6

REQUESTS AND REPLIES

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed by the Central authority of the Transferring State through diplomatic channels to the Central Authority of the Administering State. Replies shall be communicated through the same channel.
2. The Administering State shall promptly inform the Transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

ARTICLE 7

CONSENT AND ITS VERIFICATION

1. The Transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring State.
2. The Transferring State shall afford an opportunity to the Administering State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 8

EFFECT OF TRANSFER FOR THE ADMINISTERING STATE

1. The competent authorities of the Administering State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in *Article 9* of this Agreement.
2. Subject to the provisions of *Article 11* of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Administering State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

ARTICLE 9**CONTINUED ENFORCEMENT OF SENTENCE**

1. The Administering State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the Transferring State.
2. If the sentence is by its nature or duration, or both, incompatible with the law of the Administering State, that State may, with the prior consent of the Transferring State, by court or administrative order, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the Transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the Transferring State.

ARTICLE 10**EFFECT OF COMPLETION OF SENTENCE FOR
THE TRANSFERRING STATE**

When the Administering State notifies the Transferring State under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging the sentence in the Transferring State.

ARTICLE 11**REVIEW OF JUDGMENT AND PARDON, AMNESTY OR COMMUTATION**

1. The Transferring State alone shall decide on any application for review of the judgment.
2. Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its constitution or other laws.

ARTICLE 12**TERMINATION OF ENFORCEMENT OF SENTENCE**

1. The Transferring State shall promptly notify the Administering State of any decisions taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof.
2. The Administering State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the Transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 13**INFORMATION ON ENFORCEMENT OF SENTENCE**

1. The Administering State shall notify the Transferring State:-
 - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
 - (b) if the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the Administering State shall take measures to secure his arrest for the purposes of serving the remainder of his sentence and to render him liable for committing an offence under the relevant law of the Administering State.
2. The Administering State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the Transferring State.

ARTICLE 14**TRANSIT**

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third state, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit

- (a) if the sentenced person is one of its own citizen/ nationals.
 - (b) if the request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.
2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

ARTICLE 15

COSTS

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the Administering State, except costs incurred exclusively in the territory of the Transferring State. The Administering State may, however, demand or seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

ARTICLE 16

LANGUAGE

Requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English.

ARTICLE 17

SCOPE OF APPLICATION

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 18

SETTLEMENT OF DISPUTES

- (1) The Central Authorities shall endeavor to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
- (2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

ARTICLE 19

HANDING OVER OF SENTENCED PERSONS

The handing over of the transferred person by the Transferring State to the Administering State shall occur at a place to be agreed upon between the Transferring and Administering State. The Administering State shall be responsible for the transport of the prisoner from the Transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the Transferring State.

ARTICLE 20

AMENDMENTS

Any amendments or modifications to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

ARTICLE 21

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall be subject to ratification in accordance with the Constitutional procedures in force in both Contracting States. It shall become effective after thirty (30) days from the date of last notification by which either Contracting State shall inform the other Contracting State in writing, through diplomatic channels, that all the necessary legal procedures for entry into force of the Agreement have been completed.
2. This Agreement shall continue to remain valid after it enters into force in accordance with paragraph 1 of this Article, unless either Contracting State gives the other a written notice, through the diplomatic

channels, of its intention to terminate it. Such termination shall be effective after six (6) months from the date of notice.

3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoner who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

Done at New Delhi on this Eight (8th) day of November 2013 in two originals, each in Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of India

For the Government of
the State of Kuwait

Sd/-

(Sushil Kumar Shinde)
Minister of Home Affairs

Sd/-

(Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah)
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

[F. No. V-17011/3/2006-PR]

KUMAR ALOK, Jt. Secy.